न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-395Ju2024-224 Venaram ors Vs Chautharam etc

1. वेनाराम पुत्र रामाराम
2. कालूराम पुत्र रामाराम
3. श्री राजाराम पुत्र रामाराम के कायम मुकामः -
   3.1. गोविन्दराम पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3.2. दिनेश पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3.3. मनीष पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3.4. ललिता पुत्री स्व. श्री राजाराम
4. भल्लाराम पुत्र स्व. श्री रामाराम
5. श्रीमती सजकी पत्नी स्व. श्री रामाराम
6. श्रीमती उगीदेवी पुत्री स्व. श्री रामाराम
7. खीमाराम पुत्र कानाराम
8. श्रीमती सूजी देवी पत्नी कानाराम
9. श्रीमती पतासी देवी पुत्री कानाराम
10. श्रीमती पानी देवी पुत्री कानाराम
11. श्रीमती गीतादेवी पुत्री कानाराम
12. श्रीमती गोगादेवी पुत्री कानाराम
13. श्रीमती रेखा देवी पुत्री कानाराम
14. श्री भाखरराम पुत्र मगनाराम

सभी जातियान् पटेल, निवासीगण- रेन्दड़ी तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. श्री चौथाराम पुत्र चुतरााराम
02. मालाराम पुत्र चुतरााराम
03. भगाराम पुत्र कानाराम

सभी जातियान् पटेल, निवासीगण- रेन्दड़ी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 09 सितंबर 2024 राजस्व वाद संख्या 37/2020 वेनाराम व अन्य बनाम चौथाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री भोपालसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2024 वेनाराम व अन्य बनाम चौथाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 09 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 19 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 17 एवं खसरा नं. 37 ग्राम रेन्दड़ी तहसील लूणी के संबंध में एक वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा मय धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में तथाकथित बंटवाड़ा दिनांक 24.10.1971 को नल एण्ड वाईड मान कर दावा पेश किया है तथा वाद में तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें तथाकथित विभाजन का अस्तित्व में न होने का दस्तावेज जारी किया, जिससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी बाबत पूर्व में ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा उक्त तथ्य का प्रश्न है जो बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी एवं तथ्यात्मक बिंदु पर विश्लेषण न करते हुए वाद खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में विधि का हवाला नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो कि वादीगण का वाद विधि बाधित हो। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे यह अंकित किया है कि वादीगण द्वारा मांगी गई इस्तदुआ प्रदान नहीं की जा सकती है, जबकि इस्तदुआ मिलने न मिलने का निर्धारण प्रार्थना पत्र के स्टेज पर नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं वादीगण का वाद रिवाईज किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अपने वाद के पद संख्या तीन में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो चुका है, लेकिन तरमीम नहीं हुई है। विधिनुसार सहखातेदारान् के मध्य ही विभाजन किया जा चुका है। राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग खाते दर्ज है तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की तरमीम हो चुकी है। यदि अपीलांट्स पूर्व विभाजन से व्यथित है तो वह सक्षम न्यायालय में उक्त विभाजन को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांटस अपने खाते में दर्ज भूमि का सहखातेदारान् के मध्य विभाजन करवा सकते है, न कि रेस्पोडेंट्स के ,खाते में दर्ज भूमि का। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा अपने वाद के पद संख्या तीन में सन् 1971 में वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने का कथन किया है तथा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के विभाजन होने के तथ्य को स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो जाने के पश्चात कानूनन उसी भूमि बाबत पुनः विभाजन का वाद नहीं लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विधि से बाधित पाया जाता है। इन परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2024 वेनाराम व अन्य बनाम चौथाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 09 सितंबर 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर